न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1.अपीलडिक्री./टीए./932/2002/हनुमानगढ़
2.अपीलडिक्री./टीए./973/2002/हनुमानगढ़
सोहनलाल पुत्र स्व0 डूंगरराम , जाति डाकोत निवासी वार्ड नं0 14 पुलिस स्टेशन के पीछे, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1 बाबूलाल उर्फ भंवरिया पुत्र स्व0 डूंगरराम , जाति डाकोत निवासी वार्ड नं0 14 पुलिस स्टेशन के पीछे, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नोहर।
3 अन्नूराम (मृतक)पुत्र स्व0 डूंगरराम जरिए कायममुकामः–

3/1 दीनदयाल
3/2 सुभाषचन्द्र
3/3 लक्ष्मीनारायण
पुत्र अन्नूराम जाति डाकोत निवासी गुडमण्डी वार्ड नं0 17 जिला हनुमानगढ टाउन ।

3/4 महादेव प्रसाद पुत्र अन्नूराम जाति डाकोत निवासी भगवतीराईस मिल के सामने वार्ड नं0 32 पंजाब नेशनल बैंक के पास हनुमानगढ टाउन ।

3/5 गुड्डी देवी पत्नि बाबूलाल भार्गव जाति डाकोत निवासी 'ाशानी टैम्पल सांगरिया जिला हनुमानगढ ।

3/6 श्रीमति मिकेश उर्फ मुकेश पत्नि चिरंजीलाल जाति डाकोत निवासी जाइलो सतीपुरा म0नं0 3/4 हनुमानगढ जंक्शन ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री प्रदीप विश्नोई, श्री अमृतपाल सिंह, श्री मनीष पाण्डे अभिभाषकगण रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 29.6.2018

हस्तगत दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी,

हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–2–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

चूंकि दोनों अपीलों में पक्षकार, तथ्य एवं निर्धारण योग्य कानूनी बिन्दु एक समान होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. दोनों प्रकरणों के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी का अपीलाण्ट आवंटी है उसने राजस्थान उपनिवेशन(भांखरा परियोजना सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । नायब तहसीलदार से रिपोर्ट लिए जाने के बाद विवादित आराजीयात का उपनिवेशन आयुक्त तहसीलदार, नोहर के द्वारा दिनांक 17–6–66 को आवंटन किया गया था । 23 बीघा अनकमाण्ड भूमि निशुल्क आवंटित की गई थी एवं 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि कीमतन आवंटन की गई थी । आवंटन के समय अपीलाण्ट का छोटा भाई बाबूलाल अवयस्क था जिससे उसे आवंटन नहीं किया जा सकता था । अपीलाण्ट के भाई अन्नुराम का 11 बीघा 11 बिस्वा का किया गया आवंटन इस आधार पर निरस्त किया गया था कि वह हनुमानगढ में रह रहा था और व्यक्तिगत रूप से काश्त नहीं कर रहा था । आवंटन होने के बाद 45 साल से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट बाबूलाल ने एक दावा घोषणा व विभाजन का उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में किया गया उसने अपने दावे में यह अंकित किया कि विवादित आराजीयात उसके पिता डूंगरराम को टी.सी.(temporary cultivation) हेतु आवंटित की गई थी उसके बाद इसका आवंटन अपीलाण्ट को कर दिया गया जिसमें उसका 1/2 हिस्सा है । विचारण न्यायालय ने दावे को दिनांक 25–5–88 को डिक्री कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील किए जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 2–3–91 को प्रथम अपील खारिज कर दी उसके बाद द्वितीय अपील संख्या 84/91 राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर प्रकरण को विचारण

न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि अन्नुराम को पक्षकार बनाकर पुनः निर्णय पारित करें । उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अन्नुराम को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देकर के अपने निर्णय दिनांक 4–7–01 से दावे को खारिज कर दिया । उक्त निर्णय की अपील रेस्पोडेण्ट अन्नुराम के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय दिनांक 14–2–2000 को स्वीकार करते हुए दावे को डिक्री कर दिया । इस निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4–7–2001 में यह माना है कि तनकीवार निर्णय पूर्व में किया हुआ है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30–6–94 द्वारा अन्नूराम को पक्षकार बनाकर उसका हक इस सम्पत्ति में है अथवा नहीं, को तय किया जाना है । प्रतिवादी संख्या 3 अन्नूराम ने अपने जबाव में अपना हक होना बताया है किन्तु वादी ने अपने वाद में वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा माना है । जबकि प्रतिवादी नंबर 1 को पुख्ता आवंटन होना वादी ने भी माना है किन्तु गलत रूप से आवंटन करना बताया गया है क्योंकि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी नंबर 1,3 के पिता डूंगरराम की होने से उसके वारिसान को बहिस्सा बराबर भूमि ही आवंटित होनी चाहिए थी जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सोहनलाल को आवंटन अधिकारी द्वारा उसके प्रार्थना–पत्र पर ही पुख्ता आवंटन की गई है । प्रतिवादी सोहनलाल से अन्नू बडा था तथा वह लम्बे अरसे से बाहर रहता था इसलिए सोहनलाल परिवार में अकेला कर्ता था तथा बडा कर्ता होने से अकेले ने आवंटन करवाली हो ऐसा प्रमाणित नही होता है। यह तथ्य सही है कि आवंटन के समय सोहनलाल की उम्र लगभग 20 वर्ष की थी तथा अन्नू के अलावा अन्य भाई बहिन नाबालिग थे । इसलिए भी आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन की शर्ते पूरी नहीं करने से आवंटन नहीं किया गया हो । आवंटन से लेकर अब तक सोहनलाल का कब्जा काश्त साबित है । अगर प्रतिवादी सोहनलाल को अकेले को आवंटन होने से वादी व प्रतिवादी नंबर 3 को कोई एतराज था तो उन्हें अपील करनी चाहिए थी । दावा भी वर्ष 1982 में पेश किया था अर्थात आवंटन

के 26–27 वर्ष बाद पेश किया गया है । अपीलाण्ट सोहनलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से किश्तें रकम जमा करना प्रमाणित है । वादी व प्रतिवादी नंबर 3 ने केवल पिता की भूमि मानते हुए अपना हक व हिस्सा बताया है । इनके द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उनके द्वारा आवंटित भूमि की किश्तें रकम आदि अदा की गई है । आवंटित रकबा कीमतन आवंटन किया गया है जिसको अदा करने का दायित्व भी सभी पक्षकारान का बनता है जो नहीं निभाया गया प्रमाणित है। अतः वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

उक्त दावे की दो अपील प्रतिवादी बाबूलाल एवं प्रतिवादी अन्नूराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में की गई । उन्होंने अपने आदेश दिनांक 14–2–2002 में दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए आदेशित किया है कि विवादित आराजी चक –1 एन.एच. आर.बी. के प0नं0–319/439(70) कि0नं0 22 ता 25 में 4 बीघा प0नंबर 319/440(77) कि0नं02 ता 9 में 8 बीघा 12 ता 19 में 8 बीघा 22 ता 25 में 4 बीघा 319/441 कि0नं02 में 18 बिस्वा 3 में 18 बिस्वा 4 में 18 बिस्वा 5 में 18 बिस्वा 6 ता 8 में 3 बीघा, 13 ता 15 में 3 बीघा 18 में 1 बीघा प0नं 115/77 की 8 बिस्वा रास्ता कुल 35 बीघा भूमि में वादी बाबूलाल उर्फ भंवरिया पुत्र डूंगर कौम डाकोत 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी नंबर 1 सोहना पुत्र डूंगर कौम डाकोत साकिन नोहर 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादीं नंबर 3 अन्नुराम पुत्र डूंगर कौम डाकोत साकिन नोहर 1/3 हिस्से का गैर खातेदार काश्तकार है तथा दावा प्राथमिक रूप सेडिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को विवादित भूमि के लिए कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वादी व प्रतिवादी संख्या1 व 3 केहिस्से के अनुसार अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के सिद्धांत पर संबंधित नियमों का पालन करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में पेश करे। इसी अनुसार जमाबन्दी संवत 2029 ता 2038 दुरूस्त की जाकर वादी व प्रतिवादीगण का नाम इसी अनुसार दर्ज किया जावे तथा वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि उसके 1/3 हिस्से की आराजी में प्रतिवादी पक्ष किसी प्रकार की

दखलादांजी नहीं करे तहसीलदार नोहर द्वारा बतौर कमिश्नर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई अंतिम डिक्री विचारण न्यायालय पारित करे तथा आवश्यक होने पर कब्जा दिलाया जावे ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14–2–2002 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय नहीं दिया है जिससे प्रकरण को विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था । राजस्व अपील प्राधिकारी ने केवल मात्र अपील को इस आधार पर स्वीकार किया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 30–6–94 के आधार पर निर्णय पारित किया है । तनकी नंबर 1 का निर्णय करने में राजस्व अपील अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है । प्रदर्श 3 तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाया है जबकि विवादित आराजीयात कभी भी संयुक्त रूप से आवंटित नहीं की गई । नियम 16 ओर 16 ए के अनुसार आवंटन 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता था जब कि रेस्पोडेण्ट बाबूलाल आवंटन के समय अवयस्क था जिससे उसे किसी प्रकार का आवंटन नहीं किया जा सकता था न ही उसने आवंटन हेतु आवेदन पत्र दिया । आवंटन के समय बाबूलाल मात्र 4–5 वर्ष का था जिससे आवंटन अपीलाण्ट के नाम सेही किया गया विवादित आराजीयात कभी भी पिताजी डूंगरराम के नाम नहीं रही । संवत 1985 एवं वर्ष 1942 में टी.सी. के आधार पर आवंटन किया गया था । पिता डूंगरराम का देहान्त वर्ष 1950 में हो गया था । आवंटन नियम 1955 में लागू हुआ जो दिनांक 24–12–55 से लागू किया गया । अपीलाण्ट ने आवंटन हेतु भूमिहीन काश्तकार के रूप में

आवंटन किया था ओर उसे भूमिहीन काश्तकार मानते हुए भूमि का आवंटन किया था । बाबूलाल उस समय उसके पास ही रह रहा था जिससे यह नहीं माना जा सकता कि आवंठन उसे किया गया हो क्योंकि वह अवयस्क था । शपथ–पत्र में कहीं भी तीनों पुत्रों का नाम बतौर टीसी लीज होल्डर अंकित नहीं किया गया है ।

राजस्व अपील प्राधिकरी का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि विवादित आराजीयात डूंगरराम के विधिक वारिसन को आवंटित की गई थी । राजस्व अपी प्राधिकारी का यह निष्कर्ष सही नही है कि राजस्व मण्डल ने दिनांक 30–6–94 को दूसरी अपील को स्वीकार कर सोहनलाल की अलग से भूमि होना नहीं माना है । अन्नूराम द्वारा भूमि की काश्त नहीं करना और हनुमानगढ में रहने के कारण उसको आवंटित की गई भूमि को निरस्त कर दिया गया था । राजस्व अपील प्राधिकारी का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि भूमि का आवंटन एक भाई को किया गया किन्तु ये सभी भाईयों के लिए आवंटन किया गया था । नियम 16 और 16 ए में यह प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जावे जब कि बाबूलाल आवंटन के समय अवयस्क था और अवयस्क व्यक्ति को आवंटन ही नहीं किया जा सकता है तो राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकी नंबर एक को स्वीकार करना उचित नहीं कहा जा सकता । बाबूलाल सहकाश्तकार भी नहीं माना जा सकता है । बाबूलाल कभी भी आवंटी नहीं रहा उसे सहकाश्तकार बनाना आवश्यक है। अन्नुराम को किया गया आवंटन उपायुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 17–6–57 को निरस्त कर दिया था जिससे वे भी सहकाश्तकार नहीं रह जाता है । जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी यह निष्कर्ष सही नही है कि तीनों भाईयों का 1/3–1/3 हिस्सा है ।

उनका कथन है कि अपीलाण्ट को विवादित आराजी का आवंटन किया गया था । आवंटन नियम 1955 में अवयस्क को आवंटन नहीं किया जा सकता था । पूर्व में विवादित आराजी अपीलाण्ट व प्रतिवादी के पिता डूंगरराम को टीसी हेतु आवंटित की गई थी । डूंगरराम का स्वर्गवास वर्ष 1950 में हो गया था । अर्थात 1955 के नियम लागू होने के पहले ही

डूंगरराम का स्वर्गवास हो चुका था । आवंटन के समय बाबूलाल नाबालिग था । अन्नूराम हनुमानगढ रहता था । अन्नूराम को 16 बीघा भूमि आवंटित की गई थी वह भी निरस्त कर दी गई विचारण न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया है वह तनकीवार नही है । राजस्व अपील प्राधिकारी को तनकीवार निर्णय किए जाने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे । अपीलाण्ट सद्भावी क्रेता है । आवंटन के समय से ही उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है । उसे आवंटित की गई भूमि उसके पिता की भूमि नहीं है बल्कि नये सिरे से उसे कीमतन आवंटित हुई है । कीमत का भुगतान भी उसके द्वारा किया गया । अतः अपील को स्वीकार करते हुए राजस्व अपील अधिकीर का निर्णय्य निरस्त कर विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि संवत 1985 अर्थात् सन् 1928 में ही अपीलाण्ट/प्रतिवादी के पिता डूंगरराम को बतौर टीसी आवंटित की गई थी । राजस्व मण्डल के निर्णय में तीनों भाई का हिस्सा मान लिया गया था केवल विचारण न्यायालय को रेस्पोडेण्ट अन्नूराम का हिस्सा तय करना था । यह तथ्य सही है कि विवादित आराजीयात उनके पिता को टीसी पर आवंटित होने से इसमें सभी पुत्रों का बराबर हिस्सा है । आयु का इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है । पिता को आंवटित भूमि का हिस्सा सभी को मिलना चाहिए नया आवंटन नहीं किया गया है बल्कि पुराना आवंटन को ही वारिसान के नाम नियमित किया गया है । राजस्व मण्डल ने इन भाईयों का हिस्सा 1/3–1/3 माना है जिसमें विचारण न्यायालय को केवल अन्नूराम का हिस्सा तय करना था । यदि राजस्व मण्डल के निर्णय से उन्हें कोई परेशानी थी तो माननीय उच्च न्यायालय में उस आदेश को चुनौती देनी चाहिए जो उन्होंने नहीं दी है । ऐसी स्थिति में इन अपीलों में कोई सार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें

6. प्रतिउततर में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि राजस्व मण्डल ने पुनः नये सिरे से निर्णय करने के आदेश दिए गए थे । माननीय उच्च न्यायालय के यहां चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है क्योंक

निर्णय उनके पक्ष में हुआ था । आवंटन हेतु आवेदन पत्र भी सोहनलाल द्वारा दिया गया था बाबूलाल अवस्यक था । अन्नूराम को आंवटित भूमि को पूर्व में ही निरस्त कर दिया था

7. वादी अन्नूराम के अभिभाषक श्रीअमृत पाल सिंह वानर ने बताया कि ऐसा काई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अन्नूराम ने अपने हक को रिलीज कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में पिता की भूमि में तीनों का ही हिस्सा बनता है ।

8. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

9. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार उपनिवेशन द्वारा दिनांक 17-6-57 को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यह अंकित है कि सोहनराम , अनू भंवरिया उर्फ बाबूलाल डूंगर डाकोत के लडका है । अन्नूराम 15-16 साल से हनुमानगढ में रहता है । पिता डूंगरराम के नाम से रकबा खसरा नंबर 671 रकबा 57 बीधा 14 बिस्वा पुख्ता 34 बीघा 13 बिस्वा अनकमाण्ड है। अन्नू का हिस्सा 1/3 से 11 बीघा 11 बिस्वा काबिल इकरार है जो खुदकाश्त नहीं है । सोहनराम एवं भंवरिया उर्फ बाबूलाल साथ रहतेहैं 23 बीघा 2 बिस्वा अनकमाण्ड मुलसल कब्जा काश्त भूमि पाने के हकदार है मगर 15 कमार्डेड से कम रहता है । 25 बीघा पूरा करने की गुजांईश नहीं है । अतः 23 बीघा अनकमाण्ड बिला कीमत 22 अनकमाण्ड कीमतन 1100 में बनाम सोहनराम एवं भंवरिया उर्फ बाबूलाल डाकोत नोहर मंजूर फरमाया जावे ।

दिनांक 5-4-58 को उपायुक्त उपनिवेशन के द्वारा आदेशित किया गया कि सायलान को 17 किले के अनाकमाण्ड बिना कीमत व 6 किले अनकमाण्ड 50 रूपये प्रति बीघा की दर से आवंटन किया जाना इस शर्त पर मुनासिब है समान्य कॉलोनी की शर्तो की पालना करें । हलफनामा दिनांक 25-1-56 सोहनलाल वल्द डूंगरराम के द्वारा आवंटन के समय प्रस्तुत किया गया उसमें जो परिशिष्ट दिया गया है भूमि के विवरण में

अन्नूराम, सोहनराम व बाबूलाल पिसरान डूंगरराम का बहिस्सा बराबर बराबर का अंकन दर्ज है । भूमि खसरा नंबर 671 रकबा 57 बीघा 14 बिस्वा पुख्ता आवंटन 34 बीघा 8 बिस्वा अंकित की हुई है ।

मिसल बंदोबस्त संवत 1985 में भी खसरा नबर 671 रकबा 57 बीघा 14 बिस्वा डूंगरराम के नाम दर्ज है । भाखरा प्रोजेक्ट कॉलोनाईजेशन विभाग हनुमानगढ द्वारा डूंगरराम द्वारा नोटिस जारी किए गए है वे नोटिस डूंगराम के नाम दिनांक 20–1–56 को जारी किए हुए हे । इस नोटिस में यह भी अंकित है कि राजस्थान कोलोनाईजेशन नियम 1955 के नियम 13 लगायत 16 के अन्तर्गत ग्रम नोहर में आराजी काश्त पर उठाई गई सरकारी भूमि का स्थाई रूप से उनके आरजी काश्तकारों को आवंटन दिनांक 22–1–56 से 27–2–56 तक किया जायेगा अतः आपको उपरोक्त नियमों की धारा 6(1)(अ) के तहत नोटिस दिया जाता है कि आप तहसीलदार, नोहर में दिनांक 21–2–56 तक हाजिर होकर कॉलोनी तहसीलदार, नोहर के पास नियम 7 व 8 के अन्तर्गत आप द्वारा आरजी काश्त की गई भूमि में से आपको स्थाई अलोटमेंट हो सकने वाले रकबे लिए दरख्वास्त मय आवश्यक 'शपथ–पत्र पेश करें । उक्त अवधि में दरख्वास्त पेश न होने पर यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त आराजी काश्त की भूमि में से कोई भूमि पाने के इच्छुक अथवा हकदार नहीं है । और वह कुल भूमि आराजी काश्त सरकार में ली जाकर दूसरों को अलोट कर दी जावेगी । इस नोटिस में यह भी अंकन है कि चूंकि आपके आराजी काश्त के ठेके की मियाद इस साल के लिए बढाई नहीं गई थी । आपका ठेका 15 जून, 1955 को बीकानेर स्टेट टिनेन्सी एक्ट के अनुसार समाप्त हो चुका है और उस भूमि में आपको अब काश्त करने का अधिकार नहीं रहा है ।

राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक30–6–94 में यह माना है कि संवत 1985 के बदोबस्त में यह भूमि डूंगर के नाम दर्ज की गईथी डूंगर को आरजी काश्तपर यह भूमि दी जाती रही है । भांखडा क्षेत्र के संबंध में बने नियमों के नियम16 में इस प्रकार का प्रावधान है कि यदि

कोई भूमि आरजी काश्त पर किसी भी दी जा रही है तो यह व्यक्ति तथा उसके मरने के पश्चात उसके सभी उत्तराधिकारियों उस भूमि का पुखता आवंटन कराने के अधिकारी है। इस प्रकरण में जो शपथ–पत्र बतौर आवंटन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हे उसमें तीनों भाईयों का नाम है । आवंटन आदेश अवश्य सोहनलाल के पक्ष में हुआ है । नियम 16 के कारण यह माना जावेगा यकि यह आवंटन भले ही एक भाई के पक्ष में हुआ है परन्तु तीनों भाईयों के लिए हुआ है । यह सही है कि बाबूलाल उस समय अवयस्क था भूमि का आवंटन जरिए सोहनलाल डूंगर के तीनों लडकों को हुआ है कमिश्नर की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि इस भूमि पर सोहनलाल तथा बाबूलाल का कब्जा भी है । इस रिपोर्ट को कभी चुनौती नहीं दी गई ना ही किसी अन्य कमिश्नर को नियुक्त करा कर रिपोर्ट की सत्यता पर संदेह प्रमाणित किया है । सारी शहादत से यह प्रमाणित होता हे कि यह भूमि अकेले सोहनलाल की नहीं है तथा उसके अन्य भाईयों की है ।

अपीलाण्ट का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी को तनकीवार निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में स्पष्टतः तनकीवार निर्णय पारित किया है । तनकी नंबर 1 निर्णित करते समय राजस्व अपील प्राधिकारी ने राजस्व मण्डल द्वारा दिए गए निष्कर्ष को आधार बनाया है एवं यह आधार रिकार्ड से पूर्णतया साबित होता है ।

विवादित आराजीयात का आवंटन अकेले सोहनलाल के नाम किया गया था उसके द्वारा दिया गया शपथ–पत्र में तीनों भाईयों के बहिस्सा बराबर–बराबर का अंकन है । अवयस्क होना अथवा बाहर जाने से हक व अधिकारों पर कोई अंतर नहीं पडता है । चूंकि विवादित भूमि पूर्व में अपीलाण्ट व उनके पूर्वज प्रतिवादी के पिता डूंगरराम को बतौर टीसी आवंटित की गई थी जिससे यह भूमि उनके पिता की ही थी जो विरासत से तीनों

भाईयों को आवंटित की जानी थी। उपरोक्त विवेचन के इस अपील में कोई सार नजर नहीं आता एवं अपील खारिज योग्य है ।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-2-2002 यथावत रखा जाता है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष